R.NO. 60/NIC
15.02.17

(दुमका समाहरणालय)

जिला स्थापना शाखा

आदेश संख्या– 22 / 2017

सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची के संकल्प संख्या–2981 / वित्त, रांची, दिनांक–01.9.2009 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए **स्वीकृत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना** के अंतर्गत दिनांक–19.01.17 को आयोजित स्क्रीनिंग कमिटि सह जिला स्थापना समिति, दुमका की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय संवर्ग के कर्मियों को सेवा सम्पुष्टि एवं 10 / 20 / 30 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के कारण संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लिपिकों संवर्ग का एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति

कम	कर्मचारी का नाम / कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	10 / 20 / 30 वर्ष का एम0ए0सी0पी0 स्वीकृति प्रदान करने की तिथि।	स्वीकृत पे–बैण्ड / ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राजीव कुमार झा लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, दुमका।	21.12.64	14.08.96	14.08.99	14.08.16 (20 वर्ष)	9300–34800 4600
2	श्री संजय कुमार घोष, लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, दुमका।	02.10.66	23.12.96	23.12.99	23.12.16 (20 वर्ष)	9300–34800 4200
3	श्री जयनारायण दास, लिपिक, जिला सामान्य शाखा, दुमका।	01.02.64	08.10.86	08.10.89	08.10.16 (30 वर्ष)	9300–34800 4800
4	श्री अंद्रियास मरांडी, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, शिकारीपाड़ा।	06.08.61	28.01.92	28.01.95	28.01.16 (20 वर्ष)	9300–34800 4600
	नोटः– क्रमांक 4 पर अंकित कर्मी आदेश संख्या 18 / 12 ज्ञापांक–111 / स्था0 दिनांक–31.01.12 द्वारा दिनांक–31.01.12 से 14.08.13 तक निलंबित थे। निलंबन मुक्ति के पश्चात् दो वेतन वृद्धि वर्ष 2014 एवं 2015 का संचयात्मक प्रभाव से रोका गया है। श्री मरांडी का वर्ष 2014 एवं 2015 का वेतन वृद्धि के रोक के फलस्वरूप वर्ष 2016 से एम0ए0सी0पी0 लाभ देने का निर्णय समिति द्वारा किया गया है।					

चतुर्थ वर्गीय संवर्ग का सेवा सम्पुष्टि की स्वीकृति

क्र0	कर्मी का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री श्याम सुन्दर पंडित, अनुसेवक, जिला भू–अर्जन कार्यालय, दुमका।	04.05.1972	22.02.2013	22.02.2016
2	श्री अवध किशोर राणा, चैनमेन, जिला भू–अर्जन कार्यालय, दुमका।	15.08.1961	30.11.2013	30.11.2016
3	श्री झारील मंडल, चैनमेन, जिला भू–अर्जन कार्यालय, दुमका।	20.01.1967	30.11.2013	30.11.2016
4	मो0 नसीम, चैनमेन, जिला भू–अर्जन कार्यालय, दुमका।	08.11.1962	30.11.2013	30.11.2016
5	श्री राधा प्रसाद रजक, अनुसेवक, प्रखण्ड कार्यालय, गोपीकांदर।	23.05.1973	02.12.2013	02.12.2016
6	श्री अनिल कुमार पंडा, जंजीर वाहक, अंचल कार्यालय, जरमुण्डी।	01.03.1974	30.11.2013	30.11.2016

जीप चालक/चतुर्थ वर्गीय संवर्ग का एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति

क्र0	कर्मचारी का नाम/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	10/20/30 वर्ष का एम0ए0सी0पी0 स्वीकृति प्रदान करने की तिथि।	स्वीकृत पे–बैण्ड/ग्रेड पे
1	श्री जय नारायण पंडित, अनुसेवक, जिला भू–अर्जन कार्यालय, दुमका।	06.01. 01957	07.11.1996	07.11.1999	07.11.2016 (20 वर्ष)	5200–20200 1900
2	श्री नागेश्वर मंडल, से0नि0 अनुसेवी, अनुमंडल कार्यालय, दुमका।	05.02.1955	11.02.1993	11.02.1996	11.02.2013 (20 वर्ष)	5200–20200 2000

	श्री राजेन्द्र राम, अनुसेवी, अनुमंडल कार्यालय, दुमका।	01.08.1959	25.12.1981	25.12.1984	25.12.2011 (30 वर्ष)	5200–20200 1900
4	श्री गोपाल चन्द्र मंडल, अनुसेवी, अनुमंडल कार्यालय, दुमका।	17.11.1957	15.11.1994	15.11.1997	15.11.2014 (20 वर्ष)	5200–20200 1900
5	श्री ,रामेश्वर मुर्मू अनुसेवक, अनुमंडल कार्यालय, दुमका।	18.02.1960	26.12.1980	26.12.1983	26.12.2010 (30 वर्ष)	5200–20200 2000
6	श्री सुरेन्द्र प्र0 साह, अनुसेवक, अनुमंडल कार्यालय, दुमका।	01.01.1963	15.11.1994	15.11.1997	15.11.2014 (20 वर्ष)	5200–20200 1800
10	श्री मेघनाथ भंडारी, अनुसेवक, अनुमंडल कार्यालय, दुमका।	08.01.1957	07.11.1996	07.11.1999	07.11.2016 (20 वर्ष)	5200–20200 1900
11	श्री वरना पावरिया, अनुसेवक, प्रखण्ड विकास कार्यालय गोपीकान्दर।	02.03.1957	17.11.1994	17.11.1997	17.11.2014 (20 वर्ष)	5200–20200 1900
12	श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा, प्रखण्ड कार्यालय, दुमका।	04.03.1963	07.04.1992	07.04.1995	07.04.12 (20 वर्ष)	5200–20200 2800
13	श्रीमती सुखी मुर्मु, अनुसेविका, प्रखण्ड कार्यालय, दुमका।	08.12.1966	08.10.1996	10.08.1999	10.08.16 (20 वर्ष)	5200–20200 1900

उपर्युक्त कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ निम्नांकित शर्तों के अनुसार देय होगाः–

1.कर्मियों की सेवा पुस्तिका में नियमित संवर्गीय सेवा की निर्धारित अवधि का आकलन के पश्चात ही वेतन का निर्धारण होगा।

2. अनुशासनात्मक/दंडात्मक/फौजदारी मामला/विभागीय कार्यवाही/सरकारी कर्मियो के आचरण के विरूद्ध कार्रवाई संबंधी मामले में संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

3. सभी कार्यालय प्रधान वेतन निर्धारण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित कर्मी संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रावधान के सभी शर्त्तो को पूरा करते हैं तथा इस हेतु सर्वथा योग्य हैं। यदि इससे भिन्न कोई मामला प्रकाश में आता है तो वेतन निर्धारण के पूर्व वे पुनः जिला स्तर से निर्देश प्राप्त करेंगे। यह कार्यालय प्रधान की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

4. संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्राप्त करने बाद भी पदधारक मूल पद के कर्त्तव्यों का ही संपादन/निर्वहन करेंगे तथा पदनाम भी संवर्गीय पद की रिक्ति एवं उनके विरूद्ध नियमित प्रोन्नति होने तक पूर्ववत रहेगा।

5. संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होंगे एवं उनका वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। कनीय कर्मी को काई संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतम वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा।

6. संबंधित कर्मी का वेतन भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) एवं (ए)(I) के प्रावधान तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वेतन निर्धारित किया जायगा। संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रदत्त वित्तीय लाभ अंतिम होगा। अर्थात उच्चतर वर्ग के क्रियाशील पद के विरूद्ध पदस्थापन के समय पुनः कोई वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

7. वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची के पत्र संख्या–6/एस–06(प्रो0)–03/2009–1779/वि0, दिनांक–21.5.2014 के द्वारा राज्य कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/ संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत सम्पुष्टि की प्रक्रिया समाप्त करने के विषय पर निर्गत संकल्प में निर्धारित शर्त्तों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

8. नियमित प्रोन्नति के समय देय वेतन निर्धारण का लाभ इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जायगा। फलस्वरूप वित्तीय उन्नयन के समय पूर्व से प्राप्त वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन को जोड़ने के पश्चात) का 3(तीन) प्रतिशत (दस के गुणांक में) वेतन निर्धारण का लाभ देय होगा। बाद में यदि उसी ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति होती है तो वैसी स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। वैसे मामले जहां संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत प्रदत्त ग्रेड वेतन से अधिक के ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है वहां भी वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड वेतन की अंतर की राशि मात्र देय होगी।

Sd/-
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक 29 /स्था0 दुमका दिनांक 8-2-17

प्रतिलिपिः– आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक,प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड रांची/सचिव, राजस्व पर्षद, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित कर्मी को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करा देंगे।

प्रतिलिपिः– कोषागार-पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे।

Rahul 7/2/17
उपायुक्त,
दुमका।